न्यायालयः–राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक /2014 निगरानी

1 लक्ष्मण सिंह } पुत्रगण पहलवान सिंह रावत
2 अमर सिंह }

निवासीगण ग्राम तुर्कनी तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

––– आवेदकगण

विरूद्ध

जुगलकिशोर पुत्र श्री वंशीधर महेश्वरी निवासी ग्राम नरवर तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

––– अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक 1316/तीन/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26.6.14	यह निगरानी तहसीलदार नरबर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 12/अ-70/13-14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 20.3.14 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक की ग्राम तुर्कनी स्थित भूमि सर्वे क0 100,101,107,108, 109 कुल किता 5 रकबा 3.34 है. भूमि पर आवेदकगण व्दारा बेजा कब्जा करने के फलस्वरूप तथा प्रारंभिक जांच में बेजा कब्जा पाने के कारण अंतरिम आदेश दिनांक 20.3.14 से तहसीलदार नरबर ने आवेदकगण को आदेशित किया है कि वह अनावेदक की भूमि पर पुनः कब्जा न करे एंव भूमि के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु पांच लाख रू. का बंध पत्र जमानत स्वरूप अगली पेशी पर पेश करे। तहसीलदार के आदेश से परलिक्षित है कि पक्षकारों के बीच कब्जे के विवाद पर झगढा एंव वाद-विवाद न हो, तथ्यों को ध्यान में रखकर संहिता की धारा 250 में दी गई शक्तियों के अधीन तहसीलदार ने अंतरिम आदेश पारित किया है जहां उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप की गुंजायश प्रतीत नहीं होती है। 3/ उक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। सदस्य	